



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012020-215198
CG-DL-E-07012020-215198

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/ PAUSHA 16, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 14 (अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92घ की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 286 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 घक में, 1 अप्रैल, 2020 से,
(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-
“कतिपय व्यक्ति द्वारा धारा 92घ के अधीन सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण।”
(ख) उप नियम (2), (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, नियम 10घख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त आयुक्त को, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले प्ररूप सं. 3गडकक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) घटक इकाई, प्ररूप सं. 3गडकक का भाग क प्रस्तुत करेगी यद्यपि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होती हो।

(4) जहां भारत में अंतर्राष्ट्रीय समूह की एक से अधिक घटक इकाईयां स्थित हैं, वहां प्ररूप सं. 3गडकक किसी भी एक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि,-

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस प्रयोजन के लिए ऐसी इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है; और

(ख) सूचना, नियम 10घख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त आयुक्त को, इस संबंध में प्ररूप सं. 3गडकक प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिवस के भीतर, प्ररूप 3गडकक में संप्रेषित की गई है।”;

(ग) उपनियम (6), (7) और (8) को उपनियम (5), (6) और (7) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 10घख में,-

(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) धारा 286 के प्रयोजनों के लिए आय-कर प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त होगा जैसा कि आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से दो मास पूर्व प्ररूप सं. 3गडकक में प्रस्तुत की जाएगी।”;

(ख) उपनियम (3) में “आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण)” शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) नामनिर्दिष्ट घटक इकाई के संबंध में धारा 286 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन संप्रेषण के लिए अपेक्षित सूचना प्ररूप सं. 3गडकक में प्रस्तुत की जाएगी।”।

[अधिसूचना सं. 03/2020/फा. सं. 370142/19/2019-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 9(अ) तारीख 03 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया।